कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक– शिविरा–मा/संस्था/गोप्र/शाला दर्पण/Online Module/2020–21 दिनांक– 25.07.2022

श्रीमान आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव,
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
जयपुर।

विषयः–वर्ष 2021–22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन इन्द्राज किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– शासन के पत्रांक प.17(10) शिक्षा–2/2020 जयपुर दिनांक 11.07.2022 के कम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र में शासन द्वारा जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय राज्य सेवा के अधिकारियों (जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष तथा उच्च पदों के अधिकारीयों) का वाकामू प्रतिवेदन (APAR) राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन इन्द्राज किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

उक्त के कम में निवेदन है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.22 द्वारा राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2021–22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन इन्द्राज किये जाने के निर्देश प्रदत है। कार्मिक विभाग के अनुदेश दिनांक 05.06.08 के बिन्दु संख्या 9 के उपबिन्दु संख्या 6 के अनुसार संभाग स्तरीय अधिकारियों/जिला स्तरीय अधिकारियों की एपीएआर पर प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी के बाद संभाग स्तर के लिए संभागीय आयुक्त एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए जिला कलेक्टर को एपीएआर अग्रेषित किये जाने एवं संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर द्वारा टिप्पणी किये जाने एवं टिप्पणी उपरान्त समीक्षक अधिकारी को एपीएआर अग्रेषित किये जाने के प्रावधान विहित है एवं कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 09.04.15 के द्वारा भी जिला स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र में संबंधित जिला कलेक्टर की टिप्पणी अंकित करवाया जाने एवं बिना जिला कलेक्टर की टिप्पणी के अंकन के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने के निर्देश प्रदत् है।

विभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों–जिशिअ एवं समकक्ष तथा उच्च पदों के अधिकारीयों की वर्ष 2021–22 से ऑनलाईन एपीएआर (एपीएआर अवधि 01.04...... से 31.03....तक) राज–काज पोर्टल के माध्यम से भरे जाने हेतु सुविधा उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

भवदीय

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक– शिविरा–मा/संस्था/गोप्र/शाला दर्पण/Online Module/2020–21 दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव को प्रासंगिक पत्र के कम में।
2. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्या. हाजा. को प्रेषित कर लेख है कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही संपादित करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

शिक्षा विभाग समाचार, राजस्थान